कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्र./एफ–4/23/2021/10–11/ 983 भोपाल, दिनांक 06/03/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, नीमच,
मध्यप्रदेश।

विषय :नीमच जिले में ग्रीनको कम्पनी को पम्प स्टोरेज परियोजना के लिये 301.96 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

––0––

नीमच जिले में ग्रीनको कम्पनी को पम्प स्टोरेज परियोजना में प्रभावित 301.96 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.08.2021 से दिया गया है।

प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन की शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इन शर्तों का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजने पर उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि प्रकरण में वृक्षों के विदोहन की राशि जमा नहीं कराई गई है।

अतः प्रकरण में प्रभावित होने वाले 56840 वृक्षों के विदोहन की राशि जमा कराने के लिये आवेदक संस्था को मांग पत्र जारी करे।

आपके द्वारा आवेदक संस्था से नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 20.19 करोड़ जमा कराई है, जबकि इसे रू. 24,23,48,210/– जमा कराया जाना था। सम्भवतः यह अंतर इस कारण आया है कि प्रस्ताव में 228.02 हेक्टेयर वनक्षेत्र का घनत्व 0.4 है, जिसके लिये नेट प्रजेंट वैल्यू की दर रू. 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर ले ली गई है, जबकि इसे रू. 8.03 लाख के अनुसार लिया जाना था। अतः आवेदक संस्था से अंतर की राशि रू. 4,03,59,540/– की राशि ऑनलाईन जमा कराई जाये।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.03.2023 की प्रति संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

06/03/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–4/23/2021/10–11/ 984 **भोपाल, दिनांक** 06/03/2023

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.03.2023 की प्रति संलग्न है। इस पत्र के बिन्दु क्रमांक (iii), (vi) एवं (viii) का पालन प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

06/03/2023

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–4 / 23 / 2021 / 10–11 / 1355 भोपाल, दिनांक 5/4/23

प्रति,

मेसर्स ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड,
प्लाट नं. 1071, रोड़ नं. 44, जुबली हिल्स,
हैदराबाद–500033

विषयः– **Diversion of 301.96 ha forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar off-stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No. FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.**

–0–

विषयांकित प्रकरण में भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा परियोजना क्षेत्र का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में उनके द्वारा रू. 1.00 करोड़ का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया है।

इस प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा रू. 166.90 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना स्वीकृत की है।

भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा की गई अनुशंसा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर वन्यप्राणी संरक्षण योजना हेतु निम्नलिखित कार्यों की राशि आपके द्वारा जमा की जानी है :–

क्र.	किस संस्था की अनुशंसा अनुसार कार्य किया जाना है	कार्य का नाम	आवश्यक राशि
1	भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार कार्य	Establishment of Wild Animal Rescue and Rehabilitation Centre (it includes rescue centre etc)	रू. 60 लाख
2		Capacity building programme for forest staff for handling wild animal conflict and habitat management	रू. 10 लाख
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल	Farm forestry for fuelwood and timber	रू. 3.50 लाख
4		Sowing of Grass	रू. 8.00 लाख
5		Awareness Program	रू. 4.00 लाख
6		Strengthening of Infrastructural Facilities of Forest Department	रू. 10.00 लाख
7		Habitat improvement by development of vegetation cover by plantation with suitable species	रू. 20.00 लाख

क्र.	किस संस्था की अनुशंसा अनुसार कार्य किया जाना है	कार्य का नाम	आवश्यक राशि
8	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल	Biological fence (eg. Bamboo species) around the habitation and around the agriculture fields adjoining to forest area to control human wildlife conflict	रू. 10.00 लाख
9		Construction and filling of wter holes and check dams/ponds, tube wells etc	रू. 16.00 लाख
10		Infra-structure development (Surveillance Equipment's like Cameras, Wireless Sets, GPS, etc)	रू. 5.00 लाख
11		Anti-Poaching measures	रू. 8.00 लाख
12		Prevention of Forest Fire : Training and Infrastructure facilities	रू. 6.00 लाख
13		Monitoring and Evaluation	रू. 10.00 लाख
		योग—	**रू. 170.50 लाख**

इसके अतिरिक्त राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 31.03.2023 से जलाशय के आस—पास के वन क्षेत्र में संकटाप्रद प्रजातियों के पौधों के लिये अपनी अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा के आधार पर वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा 509 हेक्टेयर वनक्षेत्र में इन संकटाप्रद प्रजातियों के रोपण के लिये रू. 2,82,80,740/— की योजना तैयार की है।

अतः आप वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की राशि रू. 170.50 लाख तथा संकटाप्रद प्रजातियों के पौधों के रोपण के लिये रू. 2,82,80,740/— की राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करे।

05/04/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल